निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 59 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयंता प्रान्तीय खण्ड, लो.नि. व. नई टिहरी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अ धशासी अ भयंता प्रान्तीय खण्ड, लो.नि. व. नई टिहरी के माह 11/2016 से 09/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर.एन.यादव, एवं श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 14/10/2017 से 31/10/2017 तक श्री नीरज चुंगू वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्णका लक पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री आर.एन.यादव ओर अ मत टंडन सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 25/11/2016 से 06/12/2016 तक श्री वी.एस. पवार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 12/2015 से 10/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2016 से 09/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

   (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः जनपद टिहरी गढवाल के अन्र्तगत प्रतापनगर एंव टिहरी वधानसभा क्षेत्र के अन्र्तगत कार्यों का सुधारीकरण व निर्माण कार्य।

   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	-	-	636.49	567.95	1107.98	1107.98	-	-
2015-16	-	-	645.11	607.51	2281.05	2281.05	-	-
2016-17	-	-	676.42	614.63	2070.92	1982.42	-	-
2017-18	-	-	534.21	388.21	6989.69	6858.25	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखण्ड शासन

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड, लोक निर्माण वभाग

मुख्य अ भयन्ता, लो.नि. व.

अधीक्षण अ भयन्ता, लो.नि. व.

अ धशासी अ भयन्ता

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयंता प्रान्तीय खण्ड, लो.नि. व. नई टिहरी को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयंता प्रान्तीय खण्ड, लो.नि. व. नई टिहरी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। वधानसभा प्रतापनगर मे मोटना मदननेगी मो.मा. का सुदृढीकरण का वस्तृत वश्लेषण कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक..... से..... का निरीक्षण कया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/17 तथा 09/17 तक की गई।
4. फार्म 51: माह 07/17 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम - 5743943.00

   भाग द् वतीय - ₹ 287036.00

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 09/2017 के अन्त में

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम - ₹ 8155747.00

   (ख) सामग्री क्रय –

   (ग) नगद परिशोधन -

   (घ) निक्षेप- ₹ 4101 6640.00

   (ङ) भण्डार- ₹ 12795040.92

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 1 : राज्य योजना के अंतर्गत जनपद- टिहरी गढ़वाल के वधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में मोटना-मदननेगी मोटर मार्ग का डेढ़ लेन में चौड़ीकरण एवं बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा डामरीकरण कार्य पर ठेकेदार को एल० डी० के रूप मे `85.85 लाख का अनु चत लाभ, कार्य समाप्ती की निर्धरित ति थ के उपरान्त भी मोबेलाइजेशन अ ग्रम `39.40 लाख व ब्याज के रूप मे उक्त पर देय धनरा श `7,63,507.00 की वसूली कया जाना शेष, ठेकेदार के भुगतान देयकों से `12,25,084 राया लटी कम वसूली कया जाना तथा कार्य को छोटे छोटे अनुबन्ध अलग अलग समय पर गठन करने से `1.75 करोड़ की शासकीय धनरा श की हानि।

राज्य योजना के अंतर्गत जनपद- टिहरी गढ़वाल के वधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में मोटना-मदननेगी मोटर मार्ग का डेढ़ लेन में चौड़ीकरण एवं बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा डामरीकरण कार्य हेतु शासनादेश संख्याः 3730/III(2)/13-05 (प्रा.आ.)/2013 दिनांक 10-06-2013 द्वारा लम्बाई 21.350 कमी. हेतु रू. 1796.91 लाख की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। कार्य की प्रा व धक स्वीकृति मुख्य अ भयन्ता (ग.क्षे.), लो.नि. व., पौड़ी द्वारा पत्रांकः 3928/08(130) याता. (मा.मु.बो.) - पर्व./2013 दिनांकः 20-11-2013 के माध्यम से 21.350 कमी. लम्बाई हेतु लागत `1796.91 लाख की प्रदान की गयी थी। कार्य पर चौड़ीकरण एवं बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा डामरीकरण कार्य हेतु कुल **50** अनुबन्ध कए गये थे व आति थ तक चौड़ीकरण एवं बी.एम./एस.डी.बी.सी `17.97 करोड़ के सापेक्ष `8.62 करोड़ व्यय कया गया है।

अ धशासी अ भयन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि. व. नई टिहरी के अ भलेखों की नमूना जांच में आगे पाया गया क बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा डामरीकरण कार्य हेतु खण्ड द्वारा M/s Espan Infrastructure Limited (CB No- 14/SE 8th Circle/15-16 dt 19-12-2015) के साथ कुल लागत `13.02 करोड़ का गठित कया जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ 19/12/2015 व कार्य समाप्ती की निर्धरित ति थ 18/06/2017 थी। आतिथी तक बी.एम./एस.डी.बी.सी के अपूर्ण कार्य के निष्पादन मे कुल `3.09 करोड़ का व्यय कया गया है। जब क अनुबन्ध के अनुसार कार्य पर निम्न वत्तीय माइल स्टोन निर्धरित कए गए थे।

माइल स्टोन 1	15%	6 माह
माइल स्टोन 2	50%	12 माह
माइल स्टोन 3	100%	18 माह

उपरोक्त ता लका के अनुसार कार्य को 4 महीने वलम्ब होने के उपरान्त भी पूर्ण नहीं कया गया। कार्य पर वत्तीय व भौतिक प्रगति 24 प्रतिशत (सलग्नक-1 के अनुसार) मात्र है

(10/2017)। इस सम्बंध मे खण्ड के अ धकारियों द्वारा ठेकेदार से अनुबन्ध के शर्तो (प्रस्तर संख्या 46) के अनुसार निर्धरित समय पर माइल स्टोन प्राप्त न कए जाने पर देयकों से देय `85.85 लाख (134 दिन X `67055 प्रति दिन के हिसाब से) एल० डी० (liquidated damages) की कटोती नहीं की है इस के साथ साथ ठेकेदार द्वारा समय वृद् ध हेतु कोई आवेदन भी नहीं दिया गया है। इस प्रकार ठेकेदार को अर्थदण्ड न लगा कर खण्ड द्वारा ठेकेदार को अनु चत लाभ पहुचाया साथ ही समय पर निर्माण कार्य पर वांछित उद्देश्य की प्राप्ति न होना यह दर्शाता है क खण्ड कार्य को सही महत्व नही दे रहा है साथ ही ठकेदार पर नियम अनुसार कार्यवाही भी सुनिश्चित नहीं कर रहा है जो क खण्ड की लापरवाही को परिल क्षत करता है। आगे अ भलेखो मे मे पाया गया क इस कार्य पर:

- अनुबन्ध के शर्तो के अनुसार **Vr.No.** 241 दिनांक 19-03-2016 द्वारा ठेकेदार M/s Espan Infrastructure Limited (CB No- 14/SE 8th Circle/15-16 dt 19-12-2015**)** को रू. 65 लाख का मोबेलाइजेशन अ ग्रम का भुगतान कया गया था तथा अनुबंध के **GCC Clause 48.3** में वसूली के संबंध में प्रा वधानित था क **'The recovery of mobilization advance shall start from bill after the work done exceeds 10 % of the initial contract price or three month from the date of payment of advance which ever period concludes earlier and shall be made at the rate of 15% of the work done in each IPC.' The recovery of the advance shall be completed when 90% of the work has been completed or prior to the expiry of the *original time for completion whichever is earlier***। अत: **clause** के अनुसार 03 माह पश्चात ही दिये गये मोबेलाइजेशन अ ग्रम की वसूली प्रारम्भ कर दी जानी चाहिए थी परन्तु खण्ड द्वारा अ ग्रम दिये जाने के 11 माह पश्चात (2/2017) से मोबेलाइजेशन अ ग्रम की वसूली **(Recovery)** प्रारम्भ की इस के साथ साथ कार्य समाप्ती की निर्धरित ति थ 18/06/2017 के उपरान्त भी `39.40 लाख वसूली कया जाना शेष है। अत: अनुबंध के **GCC clause 48.1 (C)** में अ ग्रम पर ब्याज के संबंध में प्रा वधानित के अनुसार **(The advance payment shall be repaid with interest @ State Bank of India Prime Lending Rate applicable on the date of release of mobilization advance by deducting from payments otherwise due to the contractor)** दिये गये मोबेलाइजेशन अ ग्रम की ति थ **(Vr. 241 dt 19-03-2016)** पर लागू **SBI Prime Lending Rate (PLR) @ 10.5% (w.e.f. 18.03.2016)** था। इस प्रकार उक्त **clause** एवं लागू ब्याज दर के अनुसार दिये गये मोबेलाइजेशन अ ग्रम की धनरा श `65 लाख पर लेखापरीक्षा ति थ तक {11 माह (3/2016 से 2/2017 तक)+ 4 माह (जुलाई 2017 से अक्तूबर 2017) तक} कुल 15 माह (अक्तूबर/2017 तक) के ब्याज के रूप मे देय धनरा श **`7,63,507**.00 **(S.I=P*R*T/100 i.e equal to** `65,00,000.00 × **@** 10.50**%** × **11/200** + ` 65,00,000.00 × **@** 10.50**%** × **4/200**) थी, जिसकी वसूली भी लेखापरीक्षा ति थ तक नहीं की गयी थी।

- Paragraph 21 of UP Financial Hand Book volume-V Part I and paragraph 81 and 82(iii) of उत्तराखंड budget manual lays down that the departmental authority are required to see whether all revenue receipts due to Government are correctly and properly assessed and credited into Government account without undue delay. जब क ठेकेदार के 6 देयकों से अर्जित राया लटी `14,74,421 (9574.16 घन मी० के वरुद्ध मात्र 1619.07 (16.91%) घन मीटर) के वरुद मात्र `2,49,337- काटा गया था जिसके अनुसार उपरोक्त व र्णत बजट/ व वत्तीय नियमो के अनुसार ठेकेदार के भुगतान देयकों से `12,25,084 राया लटी नहीं काटी गयी है।
- अनुबन्ध के clause 13 के शर्तो अनुसार यह भी पाया गया क कार्य पर इन्सोरेंनस भी नहीं करवाया गया है। और खण्ड द्वारा अनुबन्ध के clause 13.3 के अनुसार कारवाही भी सुनिश्चित भी नहीं की थी।
- बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा डामरीकरण कार्य के अनुबन्ध व आगणन की जांच मे पाया गया क बी.एम./एस.डी.बी.सी. के कार्य हेतु आवश्यकता से अ धक 10 से 15 प्रतिशत मात्र (सलग्नक 1 के अनुसार) आगणन मे रख कर शासन से ` 2.30 करोड़ के अ धक धन आवंटन की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति प्राप्त की गयी जो वत्तीय नियमो व बजट मेनुयल के वरुद्ध है।
- प्रा व धक स्वीकृति के अनुसार कार्य पर चौड़ीकरण एवं बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा डामरीकरण कार्य हेतु 2013-14 से आति थ तक कई छोटे छोटे अनुबन्ध कए गये थे जिस कारण से चौड़ीकरण एवं बी.एम./ एस.डी.बी.सी मे छोटे छोटे अनुबन्ध अलग अलग समय पर गठन करने से स्वीकृत आगणन के एस० ओ० आर० दर से न कए जाने से `1.75 करोड़ (सलग्नक १ के अनुसार) शासकीय धनरा श की हानि हुई जिससे कार्य पर समय से व एक अनुबन्ध कए जाने से बचाया जा सकता था और कार्य को पूर्ण कये जाने हेतु अतिरिक्त बजट की अवश्यकता नहीं पड़ती।

उपरोक्त के सम्बंध मे इं गत कए जाने पर खण्ड ने तथ्यो को स्वीकार करते हुये अवगत कराया क इस संबंध मे कारवाही सुनिश्चित की जायेगी। खण्ड का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है।

अतः मोटर मार्ग का डेढ़ लेन में चौड़ीकरण एवं बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा डामरीकरण कार्य पर ठेकेदार को एल० डी० के रूप मे `85.85 लाख का अनु चत लाभ, कार्य समाप्ती की निर्धारित ति थ के उपरान्त भी मोबेलाइजेशन अ ग्रम `39.40 लाख व ब्याज के रूप मे उक्त पर देय धनरा श `**7,63,507**.00 की वसूली कया जाना शेष, ठेकेदार के भुगतान देयकों से `12**,25,084** राया लटी कम वसूली कया जाना तथा कार्य को छोटे छोटे अनुबन्ध अलग अलग समय पर

गठन करने से `1.75 करोड़ की शासकीय धनरा श की हानि का प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

प्रस्तर 2: बिना **IRC-09: 1972 norm** के अनुपालन कये मोटना-मदननेगी मोटर मार्ग लागत `17.97 करोड़ व लम्बगाँव बीजापुर रावत गाँव मोटर मार्ग लागत `14.26 करोड़ का चौड़ीकरण कार्य कया जाना।

Conduct of Traffic census as per IRC-09: 1972 norm

For accurate preparation of preliminary estimate/ detailed estimates of a road work, it is essential that the department has reliable information on traffic density of the existing road, soil strength of the area where the road is being constructed and the status of the existing road in term of the crust thickness.

For assessing the need for widening and strengthening of existing roads, calculation of values of Passenger Car Unit (PCU- Passenger Car Unit-is calculated in terms of load of different vehicles i.e. Motorcycle, Car, Bus, Truck etc. with their corresponding value as 0.5, 1, 3 and 3) and Million Standard Axle (MSA- Million Standard Axle is an indicator of traffic load on a road) based on traffic census data, California Bearing Ratio (CBR) for determining soil strength and Characteristic Deflection (CD) were required for arriving at the crust thickness required as per IRC guidelines.

Records of the division reveal that the division did not conduct any traffic surveys and even could not produce when last traffic survey was conducted by the division. Further, two roads Costing `32.23 करोड़**,** taken for sample test check in audit namely:

1. मोटना-मदननेगी मोटर मार्ग का डेढ़ लेन में चौड़ीकरण एवं बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा डामरीकरण कार्य लागत `17.97 करोड़ के सापेक्ष कुल व्यय `8.62 करोड़
2. लम्बगाँव बीजापुर रावत गाँव मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं डेढ़ लेने मे बागी तक वस्तार कार्य कुल लागत `14.26 करोड़ के सापेक्ष कुल व्यय `9.01 करोड़

were proposed for widening and the detailed estimates were not supported by traffic census reports. However, the competent authorities accorded technical sanction ignoring this basic requirement. It was also noticed that the division did not maintain proper records to monitor the status of existing road. While as per IRC norms the **rules provide for conducting traffic census every year for every road and this report of traffic census with Form-3 need to be sent to Zonal Chief Engineers for onward submission to Chief Engineer, Headquarter and Director, Research Institute** and the procedure to be followed is **that traffic census should be conducted 24 hours a day for seven days, in presence of AEs at least on three days. Nothing in this regard was found at the division level.**

उपरोक्त के संबंध मे इं गत कए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क भ वष्य मे लेखा परीक्षा द्वारा दिये गए सुझाव के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। खण्ड का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है।

अतः **IRC-09: 1972 norm** का अनुपालन न कए जाने का प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

प्रस्तर-3: प्राप्त धनरा शयो से **deposit** कार्यो पर अ धक व्यय 16.09 लाख कया जाना।

वत्तीय हस्त पस्तिका भाग 6 के पैरा संख्या 580 मे निहित प्रावधानों के अनुसार deposit कार्यो पर व्यय प्राप्त धनरा श तक सी मत रखा जाए।

अ धशासी अ भयन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, नई टिहरी के निक्षेप मद भाग-III के अ भलखो की नमूना जांच मे पाया गया क खण्ड द्वारा सतम्बर 2017 तक अधीक्षण अ भयंता 8 वां वृत एवं मुख्य अ भयंता,प्रांतीय खंड, नई टिहरी के आकस्मिक व्यय पर ` (-)1 608703.00 का अ धक व्यय कया गया। इस संबंध मे खंड के अ भलेखो मे यह देखा गया क मुख्य अ भयंता, टिहरी क्षेत्र, लो.नि. व. नई टिहरी एवं अधीक्षण अ भयंता, 8 वां वृत, लो.नि. व. नई टिहरी को कार्यालय व्यय हेतु इनके अंतर्गत आने वाले खंडो से धनरा श प्राप्त कर deposit मद से इस खंड के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही हैं जब क उक्त दोनों कार्यालयो को इस संबंध मे अलग से बजट का प्रावधान बजट मेनुयल के अनुसार होता है।

इस और इं गत कए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया क उक्त हेतु मुख्य अ भयंता एवं अधीक्षण अ भयंता द्वारा निर्दे शत कया गया था। परंतु खंड इस संबंध मे कोई साक्ष्य उपलब्ध नही करा सका।

अत: खंड द्वारा बजट मेनुयल मे निहित प्रावधानों के वपरीत मुख्य अ भयंता, टिहरी क्षेत्र, लो.नि. व. नई टिहरी एवं अधीक्षण अ भयंता, 8 वां वृत, लो.नि. व. नई टिहरी के कार्यालय व्यय हेतु इनके अंतर्गत आने वाले अन्य खंडो से धनरा श प्राप्त कर deposit मद मे रखते हुए और उस मद से भी ` (-)1 608703.00 अ धक व्यय कये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर 4:–वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुसार बिना निर्देश प्राप्त किये अभिलेखों का रखरखाव सुनिश्चित नही किया जाना

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–6 के निम्नलिखित प्रस्तर संख्या में प्रावधानित था कि :–

प्रस्तर संख्या–524 ठेकेदार से सम्बन्धित लेखों को ठेकेदारों की बही, प्रारूप 43 में पृथक पृष्ठों के संयोग(Set of folios) में लिखा जायेगा जिसमें प्रत्येक ठेकेदार से सम्बन्धित सभी संव्यवहारों के लिए व्यक्तिगत खाता होगा।

प्रस्तर संख्या–524 कार्य सारांश को प्रथमतः उप–प्रखण्ड कार्यालय में तैयार किया जाना चाहिये। इसमें नकदपुस्तिका(Cash book) और सम्बन्धित ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं के विपत्रों को दिन प्रतिदिन के हिसाब से लिखना चाहिये तथा अन्तिम प्रभार की वापसी लेखन (write book) और नकदवापसी को ऋणात्मक प्रविष्टि के रूप में लिखना चाहिये।महीने के अन्त में भण्डारण एवं समायोजन संव्यवहारों को सम्मिलित करना चाहिये तथा **निर्धारण** पुस्तिका के अनुसार निष्पादित कार्य की वास्तविक मात्रा की उल्लेख किया जाना चाहिये तथा निलम्बित शीर्षक (1) ठेकेदारों को अग्रिमभुगतान (2) ठेकेदारों को प्रतिभूतित अग्रिम और (3) ठेकेदारों के अन्य संव्यवहार के अधीन सकल योग की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए ठेकेदारों के लेखे के बन्दी जमा राशि(Closing Balance) का विवरण दिखाया जाना चाहिये। कार्य सारांश को प्रखण्ड लेखाकार की देखरेख में जांचा और बन्द किया जाएगा जो निम्नलिखित प्रारूप में एक प्रमाणपत्र अभिलिखित करेगा–

''इस कार्य सारांश को मेरे देखरेख में मेरे द्वारा जांचा गया है। **मैंने व्यक्तिगत** रूप से सभी मदों का मिलान 'ठेकेदारों का विवरण' 'ठेकेदारों के सन्दर्भ में बन्दी जमा राशि' के रजिस्टर से किया है उन्हें सही पाया है।

प्रस्तर संख्या–634 प्रखण्ड से सम्बन्धित सभी निक्षेपण मासिक संव्यवहार के रूप में समेकित अभिलेख के रूप में तैयार किये जाएं तथा उन्हें निक्षेपित कार्य की अनुसूची के प्रारूप 65 में तैयार किया जाएं। प्रत्येक कार्य के सम्बन्ध में दर्शित इस अनुसूची में प्राप्त निक्षेपण की राशि तथा नियत खर्च दोनों माह के दौरान तिथिवार रीति से दिया जाएं।

पूर्ण कार्य के बिना खर्च की गयी राशि की वापसी निक्षेपण की कटौती मे ली जाएं, इसलिए ऋणात्मक वसूली के रूप में अनुसूची में **इसे प्रद र्शत** किया जाये न कि खर्च के रूप में इसे दर्शित किया जाए।

अधिशासी अभियन्ता, **निर्माण** खण्ड, लो0नि0वि0, **बडकोट** के अभिलेखों की नमूना जांच (06/2017) के दौरान पाया गया कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–6 के उक्त प्राविधानों के बावजूद खण्ड के अन्तर्गत ठेकेदारो की बही(Contractors Ledger), कार्य सारांश(works abstract) तथा निक्षेपित कार्यो की अनुसूची प्रारूप 65 (Form no. 65 "Schedule of deposit works") का रखरखाव नही किया जा रहा था तथा कार्यालय महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून को मासिक लेखा के साथ संलग्न कर प्रेषित नही किया जा रहा है। इस सन्दर्भ में यह भी उल्लिखित है कि उक्त का रखरखाव नही किये जाने के सन्दर्भ में उच्चाधिकारियों द्वारा ऐसा कोई दिशा–निर्देश नही दिया गया था इसके बावजूद भी खण्ड द्वारा उक्त अभिलेखों का रखरखाव नही किया जा रहा था। आगे यह भी पाया गया कि खण्ड द्वारा सामान्य भविष्य निधि(जी0पी0एफ0) ब्राडशीट का रखरखाव भी सुनिश्चित नही किया जा रहा था।

उक्त को इंगित किये जाने पर खण्ड ने अवगत कराया कि Contractor Ledger की प्रक्रिया की कार्यवाही की जायेगी **जब क** Work abstract तथा जी0पी0एफ0 ब्राडशीट के रखरखाव **मे कोई टिपणी अथवा आख्या नहीं दी।** खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्तियों की पुष्टि होती है कि उक्त अभिलेखों का रखरखाव खण्ड के अन्तर्गत नही किया जा रहा था, जबकि उच्चाधिकारियों द्वारा उक्त अभिलेखों का रखरखाव नही किये जाने के सन्दर्भ में ऐसा **कोई** 'दिशा–निर्देश नही दिये गये थे

अतः वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुसार बिना निर्देश प्राप्त किये अभिलेखों का रखरखाव सुनिश्चित नही किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 5:- बिना आवश्यकता के मैक्सफाल्ट ड्रम खरीद कर ` 72.35 लाख की धनरा श को अवरूद रखा जाना व निर्देशों के वरुद्ध नई दरो पर ठेकेदारो को मैक्सफाल्ट ड्रम निर्गत कर अनावश्यक लाभ पहुचाना।

खंड के माह 09/2016 के भण्डार लेखे की अर्धवा र्षक लेखाबन्दी के अनुसार कुल `35,06,686.08 का सरप्लस प्रद र्शत हो रहा है। जिस का समायोजन आति थ तक नहीं कया गया है। तथा खंड के स्टॉक मे 1121 मैक्सफाल्ट ड्रम थे तथा रिपोर्ट मे निर्देशेत कया गया था क इन्ही 1121 मैक्सफाल्ट ड्रम को पहले प्रयोग कया जाये। जब क भंडार पंजिका (Form-8) के अनुसार 09/2016 मे 1077 मैक्सफाल्ट ड्रम थे। जिससे 44 मैक्सफाल्ट ड्रम का कुल मूल्य `4,26,800/= का अंतर आ रहा हैं। आगे भंडार पंजिका की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया मार्च 2016 मे खंड के स्टॉक मे 1339 मैक्सफाल्ट ड्रम मौजूद थे फर भी खंड द्वारा फरबरी व मार्च 2016 मे 1167 मैक्सफाल्ट ड्रम @6200/= की दर से कुल `72,35,400/= के और खरीदे गये। माह 09/2016 की रिपोर्ट के अनुसार खंड के स्टॉक मे 1121 मैक्सफाल्ट ड्रम थे तथा रिपोर्ट मे कहा गया हैं क इन्ही 1121 मैक्सफाल्ट ड्रम को पहले प्रयोग कया जाय। इनमे से जून 2017 मे 512 मैक्सफाल्ट ड्रम शेष थे फर भी दिनांक-26.06.2017 को नये खरीदे गए 1167 मैक्सफाल्ट ड्रम मे से 48 मैक्सफाल्ट ड्रम जारी कए गए जिससे ठेकेदारो को अनावश्यक ही लाभ पहुंचाया गया।

इस और इं गत कये जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया क उक्त अव ध मे मैक्सफाल्ट ड्रम की दर काफी कम हो गयी थी एवं खंड को डामरीकरण हेतु भ वष्य मे मैक्सफाल्ट की आवश्यकता पड़ेगी इस कारण कम दरो का फायदा उठाकर खंड द्वारा अतिरिक्त मैक्सफाल्ट खरीदा गया। तथा कार्य हेतु धनरा श कम होने के कारण कम लागत के मैक्सफाल्ट ड्रोमो को स्टोर से निर्गत कया गया। खंड का उत्तर मान्य नही हैं क्यो क खण्ड द्वारा कम दर के मैक्सफाल्ट ड्रम निर्गत कर अनावश्यक ही ठेकेदारो को लाभ पहुचाया साथ ही बिना आवश्यकता के ` 72.35 लाख का मैक्सफाल्ट ड्रम खरीद कर धनरा श को अवरूद रखा गया।

अत: बिना आवश्यकता के मैक्सफाल्ट ड्रम खरीद कर ` 72.35 लाख की धनरा श को अवरूद रखा जाने व निर्देशों के वरुद नई दरो पर ठेकेदारो को मैक्सफाल्ट ड्रम निर्गत कर अनावश्यक लाभ पहुचाने का प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता हैं

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर-6: नियमो के वपरीत 'रोड कटिंग चार्जेस' के रूप में प्राप्त धनरा श का व्ययवर्तन।

लोक निर्माण वभाग द्वारा बनाये गए मोटर मार्गों पर यदि कोई सरकारी/ प्राइवेट संस्थान जैसे जल निगम, दूरसंचार की कंपनी आदि के द्वारा मोटर मार्गों पर केबल / पाइप लाइन बिछाने के लए मोटर मार्गों पर जो कटिंग का कार्य कया जाता है, उसके एवज में मार्गों पर कटिंग वाले स्थानों पर मरम्मत कराने हेतु 'रोड कटिंग चार्जेस' के रूप में धनरा श संबन्धित वभाग द्वारा खण्ड को प्रदान की जाती है।

अ धशासी अ भयन्ता, प्रांतीय खंड, लो. नि. व., नई टिहरी के लेखा अ भलेखों की जांच में पाया गया क सतम्बर 2016 मे 'रोड कटिंग चार्जेस' मद से मुख्य अ भयंता नई टिहरी एवं प्रांतीय खंड, लो. नि. व., नई टिहरी के आकस्मिक व्यय हेतु `3,46,536.00 खर्च कये गये। डपॉज़िट रजिस्टर 2017-18 के अनुसार अप्रैल 2017 मे 'रोड कटिंग चार्जेस' के मद `4,54,703.00 शेष थे। चूं क 'रोड कटिंग चार्जेस' मार्गो पर कटिंग वाले स्थानो पर मरम्मत करने हेतु कटिंग करने वाले वभाग द्वारा लोक निर्माण वभाग को प्रदान की जाती है अत: खंड द्वारा 'रोड कटिंग चार्जेस' के मद से आकस्मिक व्यय पर नियम के वरुद्ध कया गया तथा शेष धनरा श राजस्व मे न डालने के बजाय डपॉज़िट मद मे अवरूद रखा हैं।

प्रकरण इं गत कए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया क त्रुटिवंश उक्त देयकों का भारण रोड कटिंग चार्ज पर कर कया गया था जिसे अंतरण प्र वष्टि से ठीक कर लया जाएगा। खंड का उत्तर मान्य नही हैं क्यो क मार्गों पर कटिंग वाले स्थानों पर मरम्मत कराने हेतु 'रोड कटिंग चार्जेस' के रूप में धनरा श संबन्धित वभाग द्वारा खण्ड को प्रदान की जाती है और अवशेष पड़ी धनरा श को राजस्व मे जमा नहीं कया गया है।

अत: खंड द्वारा नियमो के वपरीत 'रोड कटिंग चार्जेस' के रूप में प्राप्त धनरा श से मुख्य अ भयंता नई टिहरी एवं खंड के आकस्मिक व्यय कये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर-**1:** नव निर्माण/ पुन: निर्माण एवं सुधारीकरण के स्वीकृत कार्यो पर प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष**,** लोक निर्माण वभाग देहारादून द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित न कया जाना।

Particular attention needs to be paid to environment while taking up new road construction projects. Extensive plantation alongside the roads is desired.

प्रमुख स चव, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्णय लया गया था क प्राथ मकता के आधार पर उत्तराखंड के मार्गो पर प्लांटेशन का कार्य कया जाये जिस के लए प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण वभाग देहारादून द्वारा खंडो से अनुरोध कया गया था उनके क्षेत्र के मार्गो को प्राथ मकता के आधार पर चन्हित कर प्रस्ताव भेजे (02/2014)। इस के अतिरिक्त प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण वभाग देहारादून द्वारा नव निर्माण/ पुन: निर्माण एवं सुधारीकरण के कार्यो हेतु रोड साइड plantation हेतु मानक के अनुसार ` 1.20 लाख / क0मी0 की दर 12-05-2015 से आगणन मे गठित कए जाने हेतु निर्धरित कए थे। ले कन खण्ड मे उपलब्द वर्ष 2015-16 व 2016-17 के आगणन मे यह पाया गया क खण्ड द्वारा आगणन मे कोई प्रावधान रोड साइड plantation के लए नहीं रखा गया जब क उपलब्ध अ भलेखो के अनुसार खण्ड द्वारा नव निर्माण के मार्ग के 171 कार्य मे कुल 289.26 क0मी0 मे ` 1.20 लाख / क0मी0 की दर से `347.11 लाख का प्रावधान आगणन मे न रख कर प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण वभाग देहारादून द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कया गया।

इस और इं गत कए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया क भ वष्य मे आगणनों मे Plantation हेतु धनरा श का प्रा वधान कया जाएगा। खण्ड का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है।

अत: नव निर्माण/ पुन: निर्माण एवं सुधारीकरण के स्वीकृत कार्यो पर प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण वभाग देहारादून द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित न कये जाने का प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

प्रस्तर **2**: रमसा के अंतर्गत नव नि र्मत भवन पर ` **32.45** लाख के व्यय के उपरान्त उद्देशयो के अनुरूप निर्माण व उपयोग सुनि शत न कए जाने से छात्र छात्राओ को नि र्मत भवनो की सु वधा से वं चत।

खण्ड के अ भलखो व पत्रावली के अनुसार राष्ट्रीय माध्या मक शक्षा अ भयान के अंतर्गत जाखनीधार वकासखण्ड मे राजकीय इंटर कॉलेज कपरियासेन मे ` 36.85 लाख के लागत से कम्प्युटर, वज्ञान, लाइब्रेरी, कला कक्ष व शोचलाय के निर्माण कार्यो के लए ज़िला परियोजना कार्यालय, राष्ट्रीय माध्या मक शक्षा अ भयान टिहरी (सभी के लए माध्या मक शक्षा परिषद) ने अ धशासी अ भयन्ता, प्रा0खा0, लोक निर्माण वभाग, नई टिहरी के साथ (9/2015) मे एमओयू (अनुबन्ध) कया था।

उपलब्ध अ भलखो के अनुसार:

- एमओयू पत्र मे हर निर्माण कार्य हेतु समय सारणी निर्धारित की गयी थी।
- एमओयू पत्र के बिन्दु संख्या 19 मे उल्लि खत शर्तो के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य को भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनरा श के अंतर्गत तथा स्वीकृति आगणन के अनुसार ही पूर्ण करना था।
- खण्ड को ज़िला परियोजना अ धकारी, राष्ट्रीय माध्या मक शक्षा अ भयान टिहरी द्वारा अवगत (10/2015) कराया गया था क सम्झौता ज्ञापन मे उल्लि खत समस्त इकाइयो का निर्माण स्वीकृत धनरा श मे ही करना है। निर्माण इकाइयो मे कोई भी परिवर्तन राज्य परियोजना कार्यालय राष्ट्रीय माध्या मक शक्षा अ भयान उत्तराखंड देहारादून की ल खत पूर्व स्वीकृति के बिना अनुमान्य नहीं है। इस के अतिरिक्त अ भलेखो के अनुसार मुख्य स चव, उत्तराखंड शासन द्वारा 13/4/2016 को यह निर्णय लया गया था क लोक निर्माण वभाग द्वारा ऐसे निर्माण कार्य जो कार्य की मात्रा कम कर प्रारम्भ कये गये है उन्हे भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पूर्ण मात्रा के रूप मे, पूर्ण करवाया जाये व इस हेतु व्यय होने वाली अतिरिक्त धनरा श को राज्य सरकार द्वारा वहन कया जायेगा।

उपरोक्त के सम्बंध मे खण्ड के लेखा अ भलखो व पत्रवाली की जांच मे पाया गया जाखनीधार वकासखण्ड मे राजकीय इंटर कॉलेज कपरियासेन मे कम्प्युटर, वज्ञान, लाइब्रेरी, कला कक्ष के लए अनुबन्ध 150/EE दिनाक 1/0/2015 कुल ` 32.45 लाख का ही कया गया था जिसमे शोचलाय का निर्माण एमओयू पत्र के बिन्दु संख्या 19 मे उल्लि खत शर्तो व ज़िला

परियोजना अ धकारी, राष्ट्रीय माध्या मक शक्षा अ भयान टिहरी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार नहीं कया गया था इस के वपरित खण्ड द्वारा निर्माण कार्य हेतु पुनरी क्षत आगणन `43.79 लाख को शासन से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु निदेशक राष्ट्रीय माध्या मक शक्षा देहरादून प्रे षत कया गया था (12/2015) जिसकी आति थ (10/2017) तक राज्य सरकार से कोई अनमोदन प्राप्त नही हुआ हे (उपलब्द पत्रवाली के अनुसार)। अनुबन्ध के अनुसार कार्य 1/10/2015 पर आरंम्भ व 30/9/2016 पर पूर्ण कया जाना था। इस संदर्भ मे अ भलेखो मे पाया गया क राजकीय इंटर कॉलेज का निर्माण कार्य 95 प्रतिशत दिसम्बर 2016 तक पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पर निर्माण रोका गए है। अति थ तक उपरोक्त निर्माण कार्यो पर खण्ड द्वारा प्राप्त धनरा श `18.42 लाख के वरुद `27.43 लाख (`25.85 लाख स वल कार्य पर + `1.57 लाख electrification हेतु) माह 9/2017 का भुगतान कया जा चुका है व `5.17 लाख ठेकेदार से प्राप्त देयक का भुगतान होना शेष है। यह भी पाया गया क खंड द्वारा प्राप्त धनरा श से अ धक भुगतान (`9.01 लाख) अन्य कार्यो से व्यय वर्तन करते हुऐ कया गया है जो वत्तीय नियमो के वरुद्ध है।

इस और इं गत कए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया क ठेकेदार के प्रार्थना पर भुगतान कया गया है व इस का समायोजन धनरा श प्राप्त होने के उपरान्त कया जायेगा तथा पूर्ण धनरा श उपलब्ध होने के उपरान्त ही शौचलाय व समस्त शेष कार्य पूर्ण कया जायेगे। खण्ड का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है।

अत: खंड द्वारा ठोस कारवाही न कए जाने व क्लाइंट वभाग से तालमेल न रखे जाने के कारण नव नि र्मत भवन का उद्देशयो के अनुरूप निर्माण व उपयोग सुनि शत नही कया जा रहा है जिसके कारण छात्र छात्राओ को नि र्मत भवनो की सु वधा से वं चत रखे जाने का प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

प्रस्तर 3: उप खनिजो पर `**32.64** लाख की कम रायल्टी वसूला कया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, औद्यो गक वकास अनुभाग-2 संख्या 211/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 26 फरवरी 2016 तथा संख्या-842/VII-I/2016//24-ख/2007 दिनांक 19 मई 2016 के अ धसूचना का स्तम्भ -1 में उल्लि खत उपखनिजों पर रायल्टी दरों को स्तम्भ -2 के अनुसार प्रतिस्था पत /संशो धत कया गया था, तथा यह स्पष्टतः उल्लि खत था क यह अ धसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत होगी।

अ धसूचनानुसार खण्डास बोल्डर्स तथा बालू मोरंग या बजरी पर दिनांक-26.02.2016 से 18.05.2016 तक `194.50, दिनांक-19.05.2016 से 27.10.2016 तक `154.00 प्रति घन मीटर संशो धत /वृद् ध कया गया था। उक्त के परिप्रेक्ष में अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण वभाग, नई टिहरी कार्यालय के संबं धत अ भलेखों,माप पुस्तिकायें एवं भुगतान वपत्र प्रमाणको की जॉच में पाया क उक्त ल खत अ धसूचनानुसार उपखनिजों हेतु संशो धत दरों से रायल्टी की कटौती 1 मार्च 2016 से मई 2016 तक नही की गई थी।

खण्ड के द्वारा 1 मार्च , 2016 से मई 2016 तक कुल ` 28.11 लाख कटौती कर जमा कया गया था जब क संशो धत दरों से रायल्टी की कटौती की जाती तो ` 60.75 लाख रायल्टी के रूप में राजस्व प्राप्त होती अर्थात (` 60.75 लाख - ` 21.11 लाख= ` 32.64 लाख) ` 32.64 लाख की राजस्व की कम वसूली की गयी।

उक्त को इ गंत करने पर खण्ड ने उत्तर मे उल्लि खत कया क उक्त अव ध मे खंड द्वारा जो भी भुगतान कया गया वह उपरोक्त अव ध से पूर्व के देयकों से संबन्धित थे। खण्ड का उत्तर मान्य नही है क्यों क देयकों के भुगतान की ति थ को, जो भी रॉयल्टी की दर होती है।, उसी दर से रॉयल्टी की कटौती की जाती हैं। अतः संशो धत दरों से ही रायल्टी की कटौती की जानी चाहिए थी। अतः ` 32.64 लाख रायल्टी की कम वसूली का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 4: **Retroactive Financing** के तहत कराये गये कार्यो पर प्रकीर्ण अ ग्रम मद मे असमायोजित धनरा श `46.51 लाख।

खण्ड के अ भलेखो की जांच व पत्रवाली के अनुसार वर्ष 2013-14 के अंतर्गत देवीय आपदा माह जून 2013 से अक्तूबर 2013 तक व भन्न मोटर मार्गो को यातायात खोलने हेतु खण्ड द्वारा ` 95.98 लाख का व्यय कया गया था जो खण्ड के अनुसार वश्व बैंक द्वारा **Retroactive Financing** के तहत **(reimbursement)** अदा कया जाना प्रस्ता वत था। ले कन खण्ड को इस संदर्भ मे **Retroactive Financing** के तहत कोई धनरा श आति थ तक प्राप्त नहीं हुई है जिस कारण से खण्ड द्वारा इस रा श को प्रकीर्ण अ ग्रम मद मे रखा है। आगे अ भलेखो मे यह भी पाया गया क खण्ड द्वारा देवीय आपदा मद मे प्राप्त वभागीय आवंटन ` 15.30 लाख व ` 8.52 लाख का समायोजन प्रकीर्ण अ ग्रम मद मे रखे ` 95.98 लाख मे कया इस के उपरांत खण्ड द्वारा वत्तीय नियमो/ बजट मेनुयल एवं सुसंगत लेखांकन के वरुद्ध प्राप्त वा र्षक अनुरक्षण मद के आवंटन से ` 25.13 लाख (`19.88 लाख 2014-15 मे आवंटन + `5.25 लाख 201**5-16** मे आवंटन) का समायोजन प्रकीर्ण अ ग्रम मद के शेष रखे ` 71.63 लाख मे कया तथा आति थ पर प्रकीर्ण अ ग्रम मद मे ` 46.51 लाख समायोजन हेतु (10/2017) शेष है।

जब क प्रमुख अ भयंता द्वारा साफ दिशा निर्देश दिये गये थे क इस प्रकीर्ण अ ग्रम का समायोजन जिला अ धकारी से इस वषय मे धन आवंटन प्राप्त कर के कया जाए अथवा व भन्न योजनाओ मे उपलब्ध बचत यथा **contingency** मद से वत्तीय नियमो/ बजट मेनुयल एवं सुसंगत लेखांकन के अनुसार कया जाये। जब क खण्ड द्वारा जिला अ धकारी से इस वषय मे धन आवंटन प्राप्ति कये जाने हेतु कोई कारवाही नहीं की गयी है। अत: खण्ड द्वारा प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण वभाग देहारादून द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित नहीं कया।

इस और इं गत कए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क उपरोक्त भुगतान के संबंध मे प्रमुख अ भयंता द्वारा आदेश दिया गया हैं क उक्त मद का समायोजन अन्य कार्यो के बचत से कया जाए। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्यो क खंड द्वारा जिला अ धकारी से इस वषय मे धन आवंटन प्राप्त कये जाने हेतु कोई प्रयास नहीं कया है साथ मे खंड मे कसी भी कार्य पर बचत नहीं हो रही है अगर होगी भी उक्त का समायोजन अन्य कार्यो के बचत से कया जाना वत्तीय नियमो/ बजट मेनुयल एवं सुसंगत लेखांकन के वरुद है।

प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 5: निरीक्षण के सम्बंध मे शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों का उल्लंघन ।

शासन द्वारा लोक निर्माण वभाग के अ धकारियों के लये निर्माणधीन मार्गो/सेतुओ के निरीक्षण हेतु निम्न समय सारणी (जुलाई 2014) दी गयी थी।

1. अ धशासी अ भयन्ता:
    - ✓ ` 1 करोड़ से अ धक लागत के समस्त कार्य प्रेत्यक दो माह मे
2. सहायक अ भयन्ता
    - ✓ अपने क्षेत्र से संबन्धित समस्त कार्य प्रेत्यक माह मे

तथा मार्गो का निरीक्षण कर अपनी जांच आख्या प्रमुख अ भयन्ता, लोक निर्माण वभाग के माध्यम से शासन को प्रे षत कया जाना था।

खण्ड के फार्म 64 (9/2010) मे `1 करोड़ से अ धक लागत के 132 कार्य लागत ` 326.09 करोड़ जिन पर आति थ तक ` 61.53 करोड़ व्यय कया जा चुका है को प्रेत्यक दो माह मे निरीक्षण कया जाना था ले कन वगत दो वर्ष 2015-16 व 2016-17 से मार्गो का निरीक्षण कर कोई जांच आख्या प्रमुख अ भयन्ता, लोक निर्माण वभाग के माध्यम से शासन को प्रे षत नहीं कया गया था (प्रस्तुत निरीक्षण पत्रावली के अनुसार)। निरीक्षण पत्रावली के अनुसार यह भी पता नहीं चला पाया की कुल कतने निरीक्षण वगत 2 वर्षो मे इन 132 कार्यो पर शासना देश के अनुसार कए गए है।
आगे यह भी पाया गया क सहायक अ भयन्ता द्वारा भी अपने क्षेत्र से संबन्धित समस्त कार्य जिनका प्रत्येक माह मे निरीक्षण कया जाना था के जांच आख्या संबन्धित उच्च अ धकारियों को प्रे षत नहीं की है जो शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों का उल्लंगन है।

उपरोक्त के संबंध मे इं गत कए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क भ वष्य मे लेखा परीक्षा द्वारा दिये गए सुझाव के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। खण्ड का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है।

अत: निरीक्षण के सम्बंध मे शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों का उल्लंघन का प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता हैं।

प्रस्तर 6: प्राकलन स्वीकृति से 5 वर्षों से भी अ धक अव ध व्यतीत होने के बाद 35 कार्यो कुल लागत 20.99 करोड़ वत्तीय हस्त पुस्तिका 6 के प्रस्तर संख्या 380 के अनुसार खण्ड द्वारा स्वीकृति निरस्त न करना अथवा कार्य प्रारम्भ न कया जाना।

वत्तीय हस्त पुस्तिका 6 के प्रस्तर संख्या 380 के अनुसार The approval or sanction to an estimate for any public work other than annual repairs will unless such work has been commenced cease to operate after a period of five years from the date on which it was accorded॰

खण्ड के अ भलेखो मे पाया गया क ऑ डट आप त्त 2012-13 के आधार पर खण्ड द्वारा 17 कार्यो (संलग्नक-2 के अनुसार) को शासन से निरस्त कए जाने हेतु लखा (02/2014) जिस की संस्तुति शासन से अप्राप्त है। आगे अ भलेखों की कार्य निष्पादन प्रगति समीक्षा में देखा गया क सम्प्रेक्षा अव ध (10/2017) पर 5 से 12 वर्ष पूर्व के 11 स्वीकृत कार्य या तो प्रारम्भ ही नहीं कये गये अथवा टोकन व्यय भारित कर उनके सापेक्ष प्रगति नगण्य है। संलग्नक-1 के ववरण के अनुसार इन 11 कार्यो के स्वीकृत लागत 879.98 लाख के सापेक्ष कुल `15.04 व्यय (1.71% )) है। इस के अतिरिक्त अ भलेखो में यह भी देखा गया क संलग्नक-1 में दर्शाये गये वर्ष 2014-15 के 24 कार्यो पर प्रारम्भ के पश्चात पर्याप्त समयान्तराल (4 से 5 साल) बाद भी प्रगति काफी धीमी थी और आति थ तक उक्त 24 स्वीकृत कार्यो की लागत `1209 लाख के सापेक्ष कुल व्यय `8.87 लाख (0.73%) है। खण्ड के अ भलेखो के अनुसार कार्यों के सापेक्ष वांछित स्वीकृति के पश्चात भी व पर्याप्त समयान्तराल बाद भी कार्यों का निष्पादन न होना अथवा नगण्य प्रगति होने का मुख्य कारण समरेखण ववाद/ग्रामीण ववाद है जो या तो खण्ड श थलता के कारण वगत 4 से 12 वर्षो से सुलझा नहीं पाया है अथवा खण्ड अब इन मार्ग निर्माण कार्यो को नहीं करना चाहता है। इस के साथ साथ वर्तमान एस0ओ0आर0 की दर के अनुसार अब इन कार्यो को उक्त स्वीकृत धनरा श से भी पूर्ण भी नहीं कया जा सकता है।

उपरोक्त के संबंध मे इं गत कए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क हस्तान्नतरण न होने, वनभू म एवं सरेखण निर्धारण मे आम सहमति न बनने के कारण कार्य बा धत हैं। सभी कार्यो को यथा समय पूर्ण करने हेतु प्रयास कए जा रहे हैं। खण्ड से सम्प्रेक्षा में उठाये गये प्रकरण पर वत्तीय हस्त पुस्तिका 6 के प्रस्तर संख्या 380 के अनुसार कृत कार्यवाही अपे क्षत रहेगी।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 7: `1.12 करोड़ की प्रतिभूति धनरा श (**Security Deposit)** की प्रत्याहरण**(Refund)** की देयता।

जुलाई 2014 से पूर्व सामान्य ठेकेदार से प्राप्त प्रतिभूति धनरा श कोषागार मे जमा होती थी तथा कार्य की समाप्ति पर ठेकेदार को वापस कर दी जाती थी। माह जुलाई 2014 से ठेकेदारो के देयकों का भुगतान कोषागार के माध्यम से ऑन लाइन कया गया। ऑन लाइन भुगतान मे ठेकेदार के देयक से कटौती की जा रही प्रतिभूति धनरा श भी सीधे ई-चेक के माध्यम से कोषागार मे जमा हो रही हैं।

खंड की मा सक लेखा जून 2014 की जांच मे पाया गया हैं क Form-79-Schedule of Deposit (Part-II) के अनुसार `1,11,49,477.00(एक करोड़ ग्यारह लाख उनचास हजार चार सौ सत्तर रूपये मात्र) ठेकेदारो के प्रतिभूति धनरा श का भुगतान कया जाना शेष हैं और खण्ड के पास उक्त धनरा श के प्रत्याहरण हेतु कोई डीसीएल उपलब्ध नहीं है जो यह दर्शाता है क खण्ड द्वारा इस धनरा श को अन्य कार्यो पर पूर्व मे व्यय कया गया है। जब क उक्त धनरा श को खण्ड द्वारा उ चत लेखा शीर्षक के बचत मद मे रख कर नियमानुसार ठेकेदारो को भुगतान कया जाना था। ऐसा न करने के कारण खंड द्वारा अधीक्षण अ भयंता 8 वां वृत लो.नि. व. नई टिहरी को दिनांक-19.08.2015 के लखे गए पत्र मे ठेकेदारो को प्रतिभूति धनरा श की प्रत्याहरण (Refund) हेतु बजट आवंटन की मांग भी की हैं जो नियम के वरुद्ध हैं।

इस और इं गत कए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया क प्रमुख अ भयंता द्वारा निर्दे शत कया गया हैं क वर्तमान वत्तीय वर्ष मे सी.सी.एल. बचत से उक्त प्रतिभूति का भुगतान कया जाये। जो क नियम के वरुद्ध हैं और वगत कई वर्षो से खण्ड के सी.सी.एल. मद मे कोई बचत नहीं हो रही है।

अत: जुलाई 2014 से पूर्व ठेकेदारो से प्राप्त प्रतिभूति धनरा श `1,11,49,477.00(एक करोड़ ग्यारह लाख उनचास हजार चार सौ सत्तर रूपये मात्र) का प्रत्याहरण (Refund) नही कये जाने एवं भ वष्य मे सी.सी.एल. बचत से भुगतान करने की संभावना का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

क्रम सं.	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
1	30/89-90	1,2,3	-	
2	16/90-91	1	4,5	
3	72/93-94	-	1,2	
4	186/95-96	-	1	
5	151/96-97	-	2	
6	163/97-98	1,2	-	
7	225/98-99	-	3	
8	129/99-2000	2	3	
9	36/2001-02	1,2	-	
10	10/2002-03	3	4	
11	98/04-05	-	4	
12	13/2007-08	1,2	2,3,4	
13	57/08-09	-	2	
14	81/10-11	1,2	-	
15	90/11-12	-	2,3	
16	73/12-13	-	1,2	
17	86/2015-16	-	1,2	
18	100/2016-17	-	1,2,3,4	

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			अनिस्तारित प्रस्तरों का उत्तर उच्चा धकारियों को प्रे षत कये गये थे, निस्तारण की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी अवगत कराया गया।	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अ धशासी अ भयंता प्रान्तीय खण्ड, लो.नि. व. नई टिहरी तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. कार्यालय गठन से निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(i)	श्री कलम संह नेगी	अ धशासी अ भयंता	02/07/2016 से अब तक

(ii) वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1. श्री आर. बी. एस. राणा 29/06/2015 से अब तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अ धशासी अ भयंता प्रान्तीय खण्ड, लो.नि. व. नई टिहरी को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II